

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

शौकिन बनाम शहदुल गानी  
 किस्म मुकदमा 212R/M मु.नं. 146 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
19 <sup>09</sup> / <sub>25</sub>	<p>वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों।</p> <p>अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 09.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
09 <sup>10</sup> / <sub>25</sub>	<p><del>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपर</del>  <del>पत्रावली नास्ते तलबी जरिये Reg.</del>  <del>ad. डि. 20 <sup>11</sup>/<sub>25</sub> का पत्र हो।</del></p>
20/10/25	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर</del>  <del>पत्रावली नास्ते तलबी जरिये डि. 20 <sup>11</sup>/<sub>25</sub></del>  <del>का पत्र हो।</del></p>
24/10/25	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व</del>  <del>प्रार्थी स्वयं उपर/न्यायालय हाजा ली</del>  <del>वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को पर-कल</del>  <del>हाजा लगे हैं। इन्हें के पत्रावली</del>  <del>कोई भी उपस्थित नहीं हों पर पत्रावली</del>  <del>इसी तरह पर डाल दी। इस मजिस्ट्रेट</del>  <del>जाति किये उनके कोर्ट किये जावे।</del>  <del>पत्रावली केवल उपर होकर बा. तलबी</del>  <del>हाजा लगे।</del></p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

